भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं.97/एलएमएल/24/3 नई दिल्ली, 24.04.2014.

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, कोर,
मैट्रो, कोलकाता.

महानिदेशक, अअमासं, लखनऊ.

महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा.

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त,
16, अशोक रोड़, लखनऊ.

विषय:- भारतीय रेल इंजीनियरी संहिता- पैरा 1033.

भारतीय रेल इंजीनियरी संहिता (संशोधित संस्करण 2012) के ऊपर उल्लिखित पैरा के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 47 सूचना और मार्गदर्शन हेतु भेजी जा रही है.

(रमेश कुमार)
निदेशक/भूमि एवं सुविधाएं
रेलवे बोर्ड

संलग्न: यथोक्त.

सं.97/एलएमएल/24/3 नई दिल्ली, 24.04.2014.

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 47 की एक प्रति के साथ प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. प्रमुख निदेशक लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलें.
2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रेलें, कमरा सं.224, रेल भवन, नई दिल्ली.

संलग्न: यथोक्त.

(रमेश कुमार)
निदेशक/भूमि एवं सुविधाएं
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:-

i. सभी बोर्ड सदस्यों , अतिरिक्त सदस्यों , सलाहकारों और कार्यपालकों.

ii. रेलवे बोर्ड की संहिता संशोधन कक्ष.

iii. निदेशक, इरिसेन, पुणे.

iv. निदेशक, इरीन, नासिक.

v. निदेशक, इरिसेट, सिकंदराबाद.

vi. निदेशक, इरिमी, जमालपुर.

vii. निदेशक, आईआरआईटीएम, गॉव- कनौसी, मानिक नगर, लखनऊ.

viii. रेलवे बोर्ड के सभी निदेशालय.

ix. सभी भारतीय रेलों के प्रधान मुख्य इंजीनियर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों, वित्त सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं उत्पादन इकाइयों के मुख्य इंजीनियर.

x. बजट- शाखा रेलवे बोर्ड (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

1033. <u>मार्गाधिकार सुविधाएं/ सुविधाधिकार</u>

(1) मार्गाधिकार सुविधाएं/ सुविधाधिकार में पार्टी को भूमि के कब्जे या दखल का कोई अधिकार दिए बिना तथा रेलवे के हक, कब्जे, नियंत्रण और भूमि रेल के उपयोग को किसी प्रकार से प्रभावित किए बिना, मार्ग आदि जैसे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए पार्टी द्वारा भूमि का यदाकदा या सीमित उपयोग शामिल है.

(2) रेल अधिनियम 1989 की धारा 16 में रेलवे भूमि से लगी हुई भूमि के स्वामियों और अधिभोगियों के लिए रेलों को कुछ विनिर्दिष्ट कार्य करने और उनके रख-रखाव के आदेश दिए गए हैं ताकि जिस भूमि से होकर रेल लाइन बिछाई गई है. उसके उपयोग में रेलवे द्वारा उत्पन्न व्यवधान को दूर किया जा सके. ऐसे कार्यों में समपार, मार्ग, नालियां, जल-स्त्रोत आदि बनाना शामिल है. इसके अतिरिक्त निजी मकानों और निर्माणों तक मार्ग/ पहुँच, जल सप्लाई और सीवर के लिए भूमिगत पाइप लाइनों, बिजली और टेलीफोन के तारों आदि के रूप में रेलवे भूमि पर मार्गाधिकार और सुविधाधिकार की व्यवस्था के लिए कई बार अनुरोध प्राप्त होते हैं, कई मामलों में रेलवे संरेखण के मूल स्वरूप और विस्तार को देखते हुए यह अपरिहार्य होते हैं.

(3) मार्गाधिकार/ सुविधाधिकार सुविधाएं देने के अनुरोधों पर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए समुचित विचार किया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ ऐसी कुछ परिस्थितियां इस प्रकार हैं:-

i) संपत्ति/ मकान के लिए पहुंच का कोई अन्य रास्ता उपलब्ध न होना.

ii) किसी अन्य दिशा में जल सप्लाई, बिजली, सीवर आदि की व्यवस्था न हो पाना.

(4) प्रामाणिक और अपरिहार्य मामलों में उचित करार निष्पादित करने के बाद ही मार्गाधिकार और सुविधाधिकार की अनुमति दी जाए, यह नोट किया जाए कि भूमि का लाइसेंस नहीं दिया जाता बल्कि केवल सीमित उपयोग, जो करार में विस्तृत रूप से विनिर्दिष्ट किया हो, के लिए अनुमति दी जाती है. इस संबंध में किसी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए करार में ''लाइसेंस'' और ''लाइसेंस फीस'' जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए बल्कि ''अनुमति'' और ''मार्गाधिकार प्रभार'' शब्दों का प्रयोग किया जाए. करार में यह भी स्पष्ट रूप से तय किया जाए कि रेल प्रशासन को संबंधित पार्टी को किसी तरह का कोई नोटिस दिए बगैर किसी भी समय उस भूमि में प्रवेश करने, गुजरने और उसका प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है. मार्गाधिकार सुविधा समाप्त हो जाने की स्थिति में रेलवे उस पार्टी को न तो किसी तरह की

क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान और न ही पहुंच मार्ग आदि के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराने के लिए उत्तरदायी होगा. ऐसे मामले में उस पार्टी द्वारा बिछाई गई भूमिगत पाइप लाइनें आदि उस पार्टी को अपनी लागत पर हटानी/ दूसरी जगह ले जानी होंगी.

5. इन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए मुहैया कराई गई रेल भूमि पर मार्गाधिकार सुविधा/सुविधाधिकार का अन्यथा और रेलपथ के साथ की रेल भूमि का इस्तेमाल करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. रेलवे को उपरोक्त पत्र में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कर इन मामलों को निपटाने की सलाह दी गई है. तिर्यक समपार के मामलो में, अपरिहार्य तथा ट्रैक के समानांतर कम से कम रेलवे भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए.

6. रेलवे भूमि पर मार्गाधिकार/सुविधाधिकार के लिए समय-समय पर वसूल की जाने वाली संशोधित दरें इस प्रकार हैं:-

I. क) पैदल चलने, साइकिल चलाने आदि के लिए रेलवे भूमि पर/से रास्ता /पगडंडी (1 मी. तक चौड़ी).	6400 रू. की एकमुश्त वसूली (35 वर्षों के लिए मार्गाधिकार करार जिसका अन्य 35 वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है)
ख) अलग-अलग किसानों द्वारा खेती के लिए पानी की पाइप लाइन.	12800 रू. की एकमुश्त वसूली (35 वर्षों के लिए मार्गाधिकार करार जिसका अन्य 35 वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है)
ग) अलग-अलग मकानों, दुकानों आदि के लिए बिजली की लाइनें (भूमिगत और ऊपरी दोनों)	-वही
घ)अलग-अलग मकानों आदि की जल/सीवर पाइप लाइनें 300 मि.मी.व्यास तक.	-वही
ड़) राज्य बिजली बोर्डों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बिजली क्रॉसिंग.	-वही
च) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के मामले में जिसे निक्षेप शर्तों पर शुरू किया गया हो तथा रेलपथ के ऊपर/नीचे वाले ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के भाग के लिए समपार को बंद करना, जैसा भी मामला हो, शामिल नहीं है	दो लेन सड़क क्रॉसिंग दो रेल पथ तक 6000/ रू. वार्षिक तथा जहां पुल दो लेनों से अधिक चौड़ा तथा/ या क्रॉसिंग दो रेलपथों से अधिक हो 12,000/-रू. वार्षिक.
II. क) व्यक्तियों, हाउसिंग सोसाइटियों, निजी	प्रत्येक वर्ष 5000/-रू. के अध्यधीन प्रति वर्ष

फर्मों, संगठनों आदि द्वारा वाहनों, स्कूटरों आदि के लिए रास्ता/सड़क (अर्थात् 1 मी. से 3 मी. के बीच चौड़ा)	भूमि के बाजार मूल्य का 6%.
ख) स्थानीय निकायों/राज्य सरकार/सरकारी और स्वायत्त निकायों,धर्मार्थ/कल्याण संगठनों द्वारा सार्वजनिक सड़कें.	प्रति वर्ष न्यूनतम 10000/-रू. के अध्यधीन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य का 6% .
ग) भूमिगत जल/सीवर/निकासी पाइप लाइनें.	-वही
घ) उपर्युक्त 1(ग) में दी गई क्रॉसिंग तथा केबल टीवी/ओएफसी के अलावा भूमिगत/ऊपरी बिजली क्रासिंग.	-वही
III. क) निजी पार्टियों(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) द्वारा बिछाई गई खुली नालियों और भूमि के ऊपर जल/सीवर/तेल/गैस निकासी पाइप लाइनें.	प्रति वर्ष न्यूनतम 20000/-रू. के अध्यधीन भूमि के बाजार मूल्य का 10% प्रतिवर्ष.
ख) भूमिगत तेल/गैस/पाइप लाइनें.	-वही
IV. दूरसंचार विभाग/भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/विदेश संचार निगम लिमिटेड के पक्ष में ट्रैक क्रॉसिंगों सहित भूमिगत/ऊपरी केबल तथा संरेखण. यह ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने सहित है.	प्रति क्रॉसिंग प्रति वर्ष न्यूनतम 10000/-रू. के अध्यधीन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य का 6%. <u>ऑप्टिक फाइबर केबल:</u> क) प्रति क्रॉसिंग प्रति वर्ष न्यूनतम -/10000रूधीन प्रतिवर्ष भूमि के अध्य . 6 काके बाजार मूल्य%. ख) पुल की लंबाई के साथ ओएफसी बिछाने के प्रयोजन के लिए, पहुंच मार्गों में भूमि के बाजार मूल्य का 6%, प्रति पुल प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 25,000/- रू. के अध्यधीन प्रभारित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, पुल के अंतर्गत केबल की लंबाई के लिए प्रति मीटर 100 रू. की राशि पुल अधिभार के रूप में वसूल की

	जाएगी. ग) ऊपरी सड़क पुल के माध्यम से ओएफसी, बिछाने के लिए, पहुंच मार्गों में भूमि के बाजार मूल्य का 6%, ऊपरी सड़क पुल के माध्यम से प्रति क्रासिंग प्रति वर्ष न्यूनता 10000/- अध्यधीन प्रभारित किया जाएगा.

टिप्पणी:- (i) I(क) से (ड़) तथा II(क) के मामलों में, शामिल की गई भूमि की लंबाई सामान्यत: 50 मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए.

7. रेलवे भूमि/ खाली स्थान में किसी भी प्रकार की ओपनिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. भवनों से निकले हुए ड्राप्स और स्प्राउट्स, भवनों के सपोर्ट देने, तारों, खंभों तथा स्थायी प्रकृतिवाली ऐसी अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं.

8. 3 मी. से अधिक चौड़ाई के रास्ता/सड़क के लिए किसी प्रस्ताव को अनुज्ञप्ति के विषय पर मौजूदा परिपत्रों के अनुसार अनुज्ञप्ति के अंतर्गत माना जाए.

9. बिजली के तारों की क्रासिंग के मामले में इन प्रभारों की गणना के लिए स्थानीय मंडल बिजली इंजीनियर के परामर्श से भूमि की चौड़ाई तय की जाएगी.

10. मार्गाधिकार प्रभारों के निर्धारण के प्रयोजन से किसी क्रॉसिंग के मामले में ,भूमि की न्यूनतम चौड़ाई 1 मी. ली जानी चाहिए.

11. पैरा 6.I(च),6.II से 6. IV. में विनिर्दिष्ट सुविधाओं के संबंध में, यह विनिश्चय किया गया है कि इन प्रभारों का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में अग्रिम में किया जाएगा. भावी नकदी प्रवाह में छूट सरकारी प्रतिभूतियों के लिए आरबीआई द्वारा घोषित प्रचलित ब्याज दरों पर अनुमेय है. 10 वर्ष के वार्षिक प्रभारों के बराबर अग्रिम की गणना करते समय भूमि मूल्य में 7% की वार्षिक वृद्धि मानी जाएगी. स्थानीय विकास प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अथवा जिला कलेक्टर से ली गई दरों के अनुसार वास्तविक वृद्धि की तुलना में भिन्नता के कारण आवश्यक समायोजन अगले 10 वर्षों के लिए मार्गाधिकार प्रभारों की किस्त के भुगतान के समय किए जाएंगे.

12. जब तक कि किसी मामले में विशेष रूप से इसकी सुविधा न दी गई हो, मार्गाधिकार के सभी मामलों में (ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल तथा भूमिगत पाइपलाइनों को छोड़कर) रेल भूमि पर कच्ची या पक्की सड़क के अलावा किसी भी तरह के निर्माण (स्थाई, लगभग स्थाई या अस्थाई) की अनुमति न दी जाए. यदि बाद में कोई निर्माण किया जाता है तो उसका पता लगते ही तत्काल उसे हटाया जाए और मार्गाधिकार सुविधा समाप्त की जाए.

13. इस तरह के मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए मार्गाधिकार सुविधा देने का निर्णय मंडलीय सह वित्त के परामर्श से मंडल रेल प्रबंधक द्वारा (उनका आगे प्रत्यायोजन किए बिना) लिया जाय. 100 मीटर से अधिक की रेलवे भूमि की मार्गाधिकार सुविधाओं की अनुमति केवल वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से महाप्रबंधक द्वारा दी जा सकती है.

14. (क) सभी मार्गाधिकार प्रस्तावों पर मंडल स्तर पर वरि. मंडल इंजीनियर (समन्वय) द्वारा तथा मुख्यालय स्तर पर मुख्य इंजीनियर द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए. नेमी तौर पर मार्गाधिकार सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उस स्थल के निरीक्षण के आधार पर प्रत्येक मामले के गुण-दोष का विचार करके ही यह सुविधा दी जाए. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मार्गाधिकार सुविधा का रेलवे परिचालन और रेल संपत्ति की सरंक्षा और सुरक्षा से किसी तरह का कोई टकराव न हो.

(ख) खुली नालियों और सतहों पर/ऊपरी पाइप लाइनों के संबंध में मार्गाधिकार अनुमति केवल अपरिहार्य मामलों में ही अनुमति दी जानी चाहिए. किसी भी स्थिति में प्राइवेट पार्टियों को इसके लिए नई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. वर्तमान खुली नालियों और सतही/ऊपरी पाइप लाइनों को यथाशीघ्र भूमिगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं.

15. मार्गाधिकार सुविधा की अनुमति दिए गए सभी मामलों में उचित करार निष्पादित किया जाए. करार में समय-समय पर मार्गाधिकार प्रभारों में संशोधन की व्यवस्था हो.

16. यह सुनिश्चित करने के बाद ही मार्गाधिकार की अनुमति दी जानी चाहिए.इस प्रकार अनुमति की स्वीकृति से यातायात की हानि, राजस्व आदि की हानि जैसे किसी प्रकार से रेलवे के वित्तीय हित प्रभावित नहीं होने चाहिए. रेलवे के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने संबंधी उपयुक्त खंड जब भी आवश्यक हो पार्टी के साथ करार निष्पादित करते समय उसमें उल्लेख किया जाएं.

17. पैरा 6.I (क) से (इ) के प्रावधानों में उत्तरव्यापी प्रभाव से नए मामलों के लिए लागू किए जाएंगे. पहले से निर्णय लिए जा चुके मामले के पूर्व में निर्धारित किए गए प्रावधान जारी रहेंगे. बहरहाल, एक समय पर वसूली पुराने मामलों में वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार लागू की जा सकती है, यदि अन्य पार्टी को सहमति प्रदान करेगा. इस प्रकार की मामलों में नए करार की आवश्यकताओं को क्रियान्वित किया जाना चाहिए.

18. वार्षिक वृद्धि की गणना वास्तविक मार्गाधिकार प्रभार पर की जाए न कि पैरा 6.II से 6.IV तक विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रभारों पर.

19. सड़क पाइप लाइन आदि के रूप में रेलपथ क्रॉसिंग के ऐसे विचारार्थ मामलों में मौजूदा नियम तथा संरक्षा, समपारों, पाइप लाइन क्रॉसिंगों आदि से संबंधित प्रक्रियाएं शासित होंगी तथा इस पैरा के उपबंधों का उपयोग केवल रेलवे भूमि के उपयोग तक ही सीमित होगा.

(प्राधिकार बोर्ड के दि. 27.11.2001,3.10.2012,18.5.2005 के पत्र सं. 97/एलएमएल/24/3 ,16.8.2005 का पत्र सं. 2001/एलएमएल/24/20 ,5.2.2013 का पत्र सं.2011/एलएमएल/24/44)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No.97/LML/24/3 New Delhi, 24.04.14

General Manager,
All Indian Railways, PUs,CORE,
Metro, Kolkata.

Director General, RDSO, Lucknow.

Director General, NAIR, Vadodara.

Chief Commissioner of Railway Safety,
16, Ashok Road, Lucknow.

Sub:- Indian Railway Engineering code - Para 1033.

Advance Correction slip No. 47 to the above mentioned para of the Railway Engineering Code (Revised Edition 2012) are sent herewith for information and guidance.

(Ramesh Kumar)
Director/Land and Amenities
Railway Board

DA: as above.

No.97/LML/24/3 New Delhi, 24.04.14

Copy together with one copy each of the correction slip no.47 is forwarded to:

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller & Auditor General of Indian Railways, Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

DA: as above.

(Ramesh Kumar)
Director/Land and Amenities
Railway Board

Copy to:

i. All Board Members, Additional Members, Advisors and EDs.
ii. Code Revision Cell of Railway Board.
iii. Director, IRICEN, Pune.
iv. Director, IRIEEN, Nasik
v. Director, IRISET, Secunderabad.
vi. Director, IRIMEE, Jamalpur.
vii. Director, IRITM, Vill. Kanausi, Manik Nagar, Lucknow.
viii. All Directorates of Rly. Board.
ix. PCEs, CAOs, FA & CAOs of All Indian Railways and Chief Engineers for Production Units.
x. Accounts-III Branch Railway Board(with 10 spare copies).

Hindi version will follow.

MISCELLA-II

1033. WAY LEAVE FACILITIES/EASEMENT RIGHTS

1. Way leave facilities/easement rights on Railway land involve occasional or limited use of land by a party for a specified purpose like passage etc., without conferring upon the party any right of possession or occupation of the land and without in any way affecting the Railway's title, possession, control and use of the land.

2. Sections 16 of the Railways Act, 1989 enjoins upon the Railways to make and maintain specified works for the accommodation of the owners and occupiers of the lands adjoining the railway, for the purpose of making good any interruptions caused by the railway to the use of the lands through which the railway is made. Such works include crossings, passages, drains, water courses etc. Apart from these, requests are often received for provision of way leave/easement on railway land in the form of passage/access to private houses and establishments, underground pipelines for water supply and sewerage, electrical and telecommunications lines, etc. In many cases, these are unavoidable in view of the very nature and extent of the railway alignment.

3. Such requests for granting way leave/easement facilities have to be considered with due regard to the circumstances of each case. Some such circumstances may be:-

i) Non-availability of any other means of access to properties/houses;
ii) Non-feasibility of provision of water supply, electricity, sewerage, etc. from any other direction.

4. In genuine and unavoidable cases, way leave facility/easement right may be allowed after execution of proper agreements. However, the land is not licensed, but only permission is to be granted for a limited use which is to be specified in detail in agreement. To avoid any misunderstanding on this score, the agreement should not use terms like 'Licence' and 'Licence fee', but only 'permission' and 'way leave charges' . The agreement should also clearly stipulate that the Railway Administration retains full rights to enter upon, pass through or use the land, at any time, without any notice to the party. In the event of the way leave facility being discontinued with, the Railway will not be liable to pay any compensation or reimburse any amount to the party, nor to provide any alternative arrangement for access, etc. In such a case, any installations like underground pipelines, etc. put up by the party are liable to be removed/shifted by the party at its own cost.

5. The way leave facility/ easement right on railway land provided for these specific purposes should not be used to transverse and use Railway land along the track. Railways are advised to deal these cases in strict compliance to instructions contained above mentioned letter. In case of oblique crossing, unavoidable and bare minimum railway land parallel to the track should be used.

6. The following rates as revised from time to time may be levied for way leave/ easement rights on railway land:-

I. a) Passage/pathway on/across railway land (up to 1m. wide) for pedestrians, cyclists etc.	One time recovery of Rs. 6400/- (Way leave agreement for 35 years renewable for another 35 years)
b) Water pipeline xing for cultivation by individual farmers.	One time recovery of Rs. 12800/- (Way leave agreement for 35 years renewable for another 35 years)
c) Electric lines xing for individual houses shops, etc. (both underground and overhead).	-do
d) Water/ sewage pipelines xings for individual upto 300 mm dia.	-do
e) Electrical crossings by State Electricity Boards & Central Agencies.	-do
f) In case of ROB/RUB which are undertaken on deposit terms and do not involve closure of level crossing-----for the portion of ROB/RUB lying over/below the Railway track as the case may be.	Rs. 6000/- p.a upto two lane road crossing two tracks and Rs. 12,000/- p.a in case the Bridge is wider than two lane and/or crossing more than two tracks.
II. a) Passage/road for vehicles, scooters etc. (i.e. between 1m. to 3m. wide) by individuals, housing societies, private firms, organizations etc.	6% of the market value of land p.a. subject to a minimum of Rs. 5000/- p.a.
b) Public roads by local bodies/State Govt./ Govt. & Autonomous bodies, charitable/welfare organisations.	6% of the market value of land p.a. subject to a minimum of Rs. 10000/- p.a.
c) Underground water/ sewage/ effluent pipelines.	-do
d) Underground/overhead electrical crossing other than covered under 1(c) above, and other than for Cable TV/OFC.	-do
III.a) Open drains and overground water/sewage/oil/ gas/effluents pipelines by private parties (including Public Sector Undertakings).	10% of the market value of land p.a.subject to a minimum of Rs. 20000/- p.a.
b) Underground Oil/gas/ pipelines	. -do-

IV. Underground/overhead cables and alignments including track crossings in favour of Department of Telecommunications/ Bharat Sanchar Nigam Limited/ Mahanagar Telephone Nigam Limited/Videsh Sanchar Nigam Limited. This includes laying of Optic Fibre Cable(OFC).	6% of the market value of land per annum subject to a minimum of Rs.10,000/- per annum per crossing. <u>Optic Fibre Cable:</u> a) 6% of the market value of land per annum subject to a minimum of Rs.10,000/- per annum per crossing. b) For purpose of laying OFC along the length of bridge, 6% of market value of land in approaches, subject to a minimum of Rs.25,000/- per annum per bridge, would be charged. In addition, an amount of Rs.100 per metre for the length of cable under the bridge would also be recovered as bridge surcharge. c) For the purpose of laying OFC through ROBs, 6% of market value of land in approaches, subject to a minimum of Rs.10,000/- per annum per crossing through ROB would be charged.

Note – (i) In cases of I(a) to (e), and II(a), the length of land involved normally should not exceed 50 m.

7. Openings of any kind into Railway land/air space should not be permitted. This includes drops and sprouts from buildings, supports for buildings, wires, poles and other such needs of permanent nature.

8. Any proposal for passage/roads for width more than 3 m. should be treated under licensing as per extant circulars on the subject of licensing.

9. For calculating these charges, in the case of Electrical crossings, the width of land may be decided in consultation with Divisional Electrical Engineer locally.

10. In case of any crossing, minimum width of land is to be taken as 1m for the purpose of assessment of way leave charges.

11. Regarding facilities specified in Paras 6.I(f), 6.II to 6.IV, it has been decided that these charges shall be payable in advance in block of 10 years. Discounting of future cash inflows at prevailing interest rates announced by RBI for Govt. Securities would be permissible. While calculating the advance equivalent to 10 years annual charges, annual increase of 7% in land value would be assumed. Adjustments needed because of variation vis-a-vis actual increase as per rates notified by local development authority or as obtained from District Collector, would be carried out at the time of payment of the installment of way leave charges for the next 10 years.

12. In all the above cases of way leave facilities (except ROBs/RUBs, and underground pipelines), no construction (whether permanent, quasi permanent or temporary), other than a kuchcha or pucca road in cases the facility is expressly given for the same, is to be permitted on railway land. If any construction comes up subsequently, the same should be immediately removed as soon as noticed, and the way leave facility discontinued with.

13. In view of the large number of cases involved, decision for granting way leave facilities may be taken by the D.R.M (without any further redelegation) in consultation with Divisional Associate Finance. Way leave facilities involving stretch of railway land more than 100 Metres, can be permitted only by the General Manager in consultations with the FA&CAO.

14.(a) All way leave proposals should be processed by the Sr.DEN(Co-ord) at the Divisional level, and the Chief Engineer at the Headquarters level. Way leave facilities should not be granted as a matter of routine, but only after consideration of each case on merits based on a site inspection. Special care should be taken to see that the way leave facility does not in any way impinge on the safety and security of railway operations and railway property.

(b) Way leave permission in respect of open drainage and surface/overhead pipelines should be allowed only in unavoidable cases. In any case, fresh permission for this in favour of private parties should not be given. All efforts may also be made to have the existing open drainage and surface/overhead pipelines replaced by underground installations at the earliest.

15. In all cases of way leave facility granted, proper agreement should be executed. The agreement should provide for revision of way leave charges from time to time.

16. Way leave permission should be accorded only after ensuring that Railways' financial interests are not affected in any manner, i.e. by way of loss of traffic, loss of revenue etc. by granting such permission. Suitable clause securing Railways' financial interests may be provided in the agreement to be executed with the party, whenever necessary.

17. Provisions of para 6.I (a) to (e) shall be applied prospectively i.e. for fresh cases. Cases already decided shall be continued with earlier provisions. However, one time recovery as per present guidelines can be applied in old cases too if the other party accords consent to the same. Fresh agreement needs to be executed in such cases.

18. The calculation of annual increase should be on the basis of the actual way leave charge and not on the minimum charge specified in Paras from 6.II to 6.IV.

19. In case such proposals envisage crossing of track in the form of road, pipelines etc., the extant rules and procedures relating to safety, provision of level crossings, pipeline crossings, etc. will govern and the provisions of this para would be limited to the use of railway land only.

(Authority Board's letters No.97/LML/24/3 dated. 27.11.2001, 3.10.2002 18.05.2005, 16.11.2005, No.2001/LML/24/20 dated 16.08.2005 & No.2011/LML/24/44 dated 05.02.2013).